**डॉ. (प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, सभापति, कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में दिनांक–25.06.2019 (मंगलवार) एवं 26.06.2019 (बुधवार) को नेतरहाट विद्यालय समिति कार्यालय–कक्ष, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 56वीं बैठक की कार्यवाही :–**

1. **उपस्थिति :–** बैठक में उपस्थित/अनुपस्थित सदस्य यथास्थान अभिलिखित :

| क्रम सं. | नाम | कार्यकारिणी समिति में धारित पद | उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ.(प्रो.) कृष्ण कुमार नाग, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र। | सभापति | उपस्थित |
| 2. | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत – जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार श्रीमती नीरजा कुजूर | सदस्य | केवल दिनांक 25.06.2019 को उपस्थित |
| 3. | श्री अखिलेश वाजपेयी संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, (वित्त–विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य) झारखण्ड सरकार, राँची। | सदस्य | केवल दिनांक 25.06.2019 को उपस्थित |
| 4. | श्री हरे कृष्ण प्रसाद सिन्हा, (प्रख्यात शिक्षाविद्) | सदस्य | केवल दिनांक 26.06.2019 को उपस्थित |
| 5. | श्री विनोद कुमार कर्ण, (पूर्व प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय। | सदस्य | उपस्थित |
| 6. | डॉ.(प्रो.) नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय। | सदस्य | उपस्थित |
| 7. | डॉ. संतोष कुमार सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | सदस्य सचिव | उपस्थित |
| 8. | श्री विन्ध्याचल पाण्डेय, वरीयतम सह–शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट। | विशेष आमंत्रित सदस्य | केवल दिनांक 25.06.2019 को उपस्थित |

कृष्ण कुमार नाग
8.7.2019

2. **कार्यसूची मद संख्या–01** :– विगत 55वीं बैठक दिनांक–16.04.2019 की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

3. **कार्यसूची मद संख्या–02** :– विगत 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा समर्पित कृत अनुपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

4. **कार्यसूची मद संख्या–03** :– विगत 54वीं बैठक दिनांक–6.04.2019 में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा समर्पित कृत अनुपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार समीक्षा की गई।

अनुपालन प्रतिवेदन कमांक–3 (ग) 15 नवम्बर 2018 विद्यालय दिवस के अवसर पर हुए खर्च के संदर्भ में 54वीं बैठक दिनांक–6.04.2019 में लिए गए निर्णय के अनुरूप वित्त विभाग के संयुक्त सचिव श्री अखिलेश वाजपेयी के संचिका पर दिए गए मंतव्य पर सभापति द्वारा स्वीकृति दी गई जिसकी सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

अनुपालन प्रतिवेदन कमांक–11 छात्रों के शुल्क–सम्बन्धी तालिका के प्रभावी होने की तिथि सत्र 2019–20 से नामांकित छात्रों पर लागू किए जाने को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

5. **कार्यसूची मद संख्या–04** :– दिनांक 16.05.2019 को आहूत कार्यकारिणी समिति की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि की गई।

6. **कार्यसूची मद संख्या–05** :– दिनांक 16.05.2019 को आहूत कार्यकारिणी समिति की आकस्मिक बैठक में लिए गए निर्णयों के कृत अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा के कम में ज्ञात हुआ कि शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति हेतु रोस्टर–सम्बन्धी विन्दुओं के लिए प्रशासी विभाग से राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को अबतक संचिका अग्रसारित नहीं हो पायी है, यद्यपि प्रशासी विभाग को इस सम्बन्ध में दो स्मार पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं। अतः निर्णय लिया गया कि यथाशीघ्र स्वयं प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, रांची में कार्यकारिणी समिति के तत्समय उपलब्ध किन्हीं सदस्य के साथ, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से मिलकर इस हेतु आग्रह करें कि शिक्षकों–प्रशिक्षकों के विधिवत् सृजित रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण विद्यालय में बहुत कठिनाई हो रही है, और ऐसा केवल इसलिए हो रहा है कि अद्यतन राज्य–स्तरीय आरक्षण के रोस्टर विन्दुओं की प्रामाणिक निर्देश–सम्बन्धी पत्र नेतरहाट विद्यालय समिति को प्राप्त नहीं हो पा रही है।

8.7.2019

7. <u>कार्यसूची मद संख्या–06</u>:– विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों, संस्कार तथा अनुशासन–सम्बन्धी विषयों पर गहन विचार–विमर्श के क्रम में यह चर्चा हुई कि नेतरहाट विद्यालय अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, संस्कार और अनुशासन के कारण ही समाज में अपनी प्रतिष्ठित पहचान बनाता रह सका है, अतः यह आवश्यक है कि इन्हें निरन्तर सुदृढ़ करते रहा जाय। सर्वसम्मति से इनके लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया :–

1. पूर्व के शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की कर्तव्य–परायणता और निष्ठा तथा बालकों को प्रोत्साहित करते हुए अपना अधिकतम समय उनके अनुशासित मार्गदर्शन में व्यतीत करने के कारण ही पूर्व बालक गण इतने अच्छे बन कर विद्यालय का नाम रौशन कर पाए हैं। इधर कुछेक शिक्षकों–प्रशिक्षकों के विषय में ऐसी सूचना मिल रही है कि वे अपनी कक्षा के उपरान्त अपने आवास अक्सर चले जाया करते हैं।

बालकों को केवल क्लास में पढ़ाने से ही कर्तव्य पूरे नहीं हो जाते, उनकी विद्यालय परिसर में उपस्थिति मात्र से भी शैक्षणिक या अन्य किसी भी तरह की समस्या का समाधान त्वरित गति से संभव हो पाता है। अतः प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव शिक्षकों–प्रशिक्षकों को परामर्श निर्गत कर दें कि क्लास नहीं रहने पर भी वे विद्यालय भवन परिसर में ही रहें जिससे बालकों को उनका मार्गदर्शन मिलता रहे और वे भी स्वाध्याय करते हुए खुशहाल रहें।

2. अनुशासित आश्रम–व्यवस्था नेतरहाट विद्यालय की रीढ़ मानी जाती रही है। इधर आश्रम के बालकों में अनुशासन–सम्बन्धी कुछेक शिकायतें आ रही हैं कि वे आश्रम से बिना अनुमति के, जैसे–तैसे परिधान में, निकलकर इधर–उधर जंगल तथा बाजार में घूमते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, आश्रम के अन्दर भी पूरी साफ–सफाई और व्यवस्थित ढ़ंग से रख–रखाव नहीं रखते जो उनके स्वावलम्बन और कठोर अनुशासित जीवन जीने की कला के विकास के आवश्यक पग हैं।

प्रारम्भ के वर्षों में प्रत्येक रविवार को प्रातः जलपान के बाद, विद्यालय के प्राचार्य, कुछेक वरीय शिक्षकों के साथ आश्रमों के बीच साफ–सफाई व सुसज्जित व्यवस्था अपनाने की सीख में प्रोत्साहन हेतु स्वस्थ प्रतियोगिता की जांच के लिए में घूमकर निगरानी और निरीक्षण किया करते थे। कोई एक आश्रम प्रथम स्थान प्राप्त घोषित किया जाता था, स्वाभाविक है कि दूसरे सप्ताह, दूसरे आश्रम प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयत्नशील रहा करते थे। यही कारण था कि अतिथि गण आश्रमों के औचक परिभ्रमण–निरीक्षण से अत्यन्त प्रभावित और भाव–विह्वल हुआ करते थे।

8.7.2019

अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राचार्य सभी आश्रमाध्यक्षों तथा स्थानीय प्रबन्धन समिति के सदस्यों की बैठक बुलाकर आश्रमों के बीच साफ-सफाई और अनुशासित जीवन के लिए पुरानी परम्परा को पुनर्स्थापित करें।

3. विद्यालय में आए दिन क्विज, नेशनल टैलैन्ट सर्च तथा साइन्स या मैथेमेटिकल ओलम्पियाड इत्यादि में भाग लेने के लिए विभिन्न विषयों की बनी समितियों (यदि किन्हीं विषयों के शिक्षकों ने अबतक ऐसी रूचिकर व ज्ञानवर्द्धक समिति की संयोजना नहीं की है तो वे मिलकर ऐसा अवश्य करें) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन सभी का समाचार पत्रों और मीडिया के अन्य साधनों में यथासमय प्रचार-प्रसार भी होना चाहिए ताकि जन-सामान्य को नेतरहाट के बालकों की गतिविधियों और सफलताओं की जानकारी मिलती रह सके। पुस्तकालय का अधिकाधिक प्रयोग न केवल बालक गण बल्कि शिक्षक वृन्द भी करते रहें इसपर स्थानीय प्रबन्धन समिति पहल करें।

4. नेतरहाट विद्यालय की स्थापना गुरूकुल-परम्परा के साथ-साथ आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य में नीहित रही है। श्रीमान जी, माता जी, नाई जी, धोबी जी जैसे आदर-सूचक शब्द में संस्कार-जन्य सम्मान का भाव सन्नीहित रहता आया है। उम्र से बड़े किसी भी व्यक्ति की बातों को आदर-सहित पालन करने की सीख नेतरहाट के बालकों की स्वस्थ परम्परा रही है। अतः नेतरहाट के शिक्षकों, प्रशिक्षकों, माताजी-गणों व कर्मचारियों का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि बालकों के अनुशासन या संस्कार में जहां कहीं भी कोई कमी दीख पड़े, तो बेझिझक टोकें, मार्गदर्शन कराएं!

8. **कार्यसूची मद संख्या-07**:- शिक्षकों के लिए Refresher/Orientation Course आयोजन सम्बन्धी विषयों पर विचार-विमर्श के क्रम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभापति/कार्यकारिणी समिति के सदस्य-गण विभिन्न विषयों के विद्वान/विदूषी जनों की सूची प्राचार्य को उपलब्ध करा दें जिन्हें Resource Person के रूप में निमंत्रित कर नेतरहाट में ही शिक्षकों-प्रशिक्षकों को शिक्षण-कला कौशल की आधुनिकतम विधियों से प्रोत्साहित कर मार्गदर्शन कराया जा सके। प्राचार्य को स्वयं भी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों/विशिष्ट संस्थानों के प्रसिद्ध व्यक्तियों से संपर्क कर निमंत्रित करने का सुझाव दिया गया।

9. **कार्यसूची मद संख्या-08**:- छात्रों द्वारा कक्षा की समाप्ति के बाद फीड-बैक लिए जाने सम्बन्धी विषय पर विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया इसे लागू किया जाय जिससे बालकों और शिक्षकों, दोनों का भला हो।

8.7.2019

सामान्यतया फीड–बैक में मूल्यांकन हेतु जो मापदण्ड हुआ करते हैं, या जो होने चाहिए, उनके बारे में स्थानीय प्रबन्धन समिति शिक्षकों के सहयोग से एक प्रारूप बनाएं और प्राचार्य उसे कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

10. **कार्यसूची मद संख्या–09**:– प्रवेश परीक्षा के आयोजन संबंधी पहलुओं पर विचार विमर्श के कम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रतियोगिता परीक्षा हेतु फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, प्रारम्भिक परीक्षा की निर्धारित तिथि तथा मुख्य परीक्षा की निर्धारित तिथि, प्रत्येक में कम से कम एक माह का अन्तराल अवश्य रहे।

प्रश्न चयन कर्ताओं के पास पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र और उन्हें पांचवे–छठे वर्ग के विषय विशेष के पाठ्यकम भी भेजे जाने चाहिए। उनसे यह भी प्रमाण पत्र ले लिया जाना चाहिए कि उनका कोई निकट सम्बन्धी परीक्षार्थी नहीं है, और यह कि समर्पित प्रश्न पत्र की प्रेस कॉपी और ऑफिस कॉपी के बाद अपने पास कुछ प्रश्न–सम्बन्धित कुछ भी नहीं रखा है। सामान्यतया शिक्षक हस्तलिखित कार्बन–कॉपी उपयोग करते हैं। जो स्वयं टाइप करते हों, उन्हें यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना है कि प्रेस कॉपी और ऑफिस कापी निकाल लेने के तुरंत बाद टाइप्ड प्रश्न–पत्र अवश्य डिलीट कर दें, जिससे गोपनीयता के भंग होने का न कोई खतरा हो, न किसी पर कठोर दंडात्मक कार्यवाई करने की नौबत आए। प्रश्नों के मोडेरेशन गोपनीय रूप से किए जाते हैं, अतः प्रश्न चयन कर्ता उन्हीं प्रश्नों के अलग–अलग सेट स्वयं न बनाएं।

11. **कार्यसूची मद संख्या–10**:– विद्यालय की भू–खण्ड की पक्की चहरदीवारी और आंतरिक मार्ग बनाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के कम में निर्णय लिया गया कि प्राचार्य इसके लिए सम्बन्धित विभाग के इंजीनयर से प्राकलन बनाने हेतु अनुरोध करें ताकि इसके लिए राशि की स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को निवेदन किया जा सके। तत्काल नापी द्वारा जो भू–खण्ड हमारे विद्यालय की आ रही है, उसे तार से घेर कर तत्काल उसपर फलदार वृक्षारोपण किया जाय। साथ ही साथ लातेहार जाकर जिला अभिलेखागार व सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुख्यालय पलामू से नेतरहाट विद्यालय को तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त कुल 460 एकड़ भू–खण्ड की जमीन सम्बन्धी कागजात वापस मांगने हेतु प्रयास करें।

12. **कार्यसूची मद संख्या–11**:– विद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों की परीक्ष्यमान अवधि के बाद सम्पुष्टि सम्बन्धी विषय पर चर्चा के कम में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नेतरहाट विद्यालय समिति के विषय में झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित गजट सं. 57 तिथि 6 फरवरी 2012 जो "Recruitment, Service Condition and Disciplinary Rules, 2011" के सम्बन्ध में है,

8.7.2019

उसमें लिखा है....."As per Rule 8 of Chapter II of the aforementioned Gazette, concerning Authority Competent to Issue Appointment Orders " ***The Sabhapati in the case of Principal and Principal in case of other posts will be competent to issue orders of appointment. They will also act as Disciplinary Authority for the purposes of Rule 24 of Chapter III."***

चूंकि परीक्ष्यमान अवधि के दौरान प्राचार्य द्वारा शिक्षकों/कर्मचारियों का कार्य संतोषप्रद पाया गया, और सभापति द्वारा प्राचार्य का कार्य संतोषप्रद पाया गया जिसकी पुष्टि इस तथ्य से भी हो जाती है कि परीक्ष्यमान अवधि के दौरान उक्त व्यक्तियों से कभी कोई स्पष्टीकरण मांगने तक की स्थिति नहीं आयी, अतः परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात् इन सभी की सेवाएं सर्वसम्मति से संम्पुष्ट की गई।

13. <u>कार्यसूची मद संख्या–12:–</u> विद्यालय के अतिथि गृहों के रख–रखाव व संचालन सम्बन्धी समस्याओं को 26 जून 2019 के लिए कार्यसूची में रखा गया था क्योंकि माननीय सदस्य श्री एच.के.पी. सिन्हा जी के आग्रह पर ही इसे सूचीबद्ध किया गया था पर कतिपय अपरिहार्य कारणें से वे दिनांक 25 06. 2019 को नेतरहाट नहीं आ पाए थे।

विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विद्यालय के अतिथि गृहों के रख–रखाव व संचालन के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों/व्यक्तियों की नई कमिटि बनायी जाय : प्राचार्य (अध्यक्ष), स्थानीय प्रबन्धन समिति द्वारा चयनित एक शिक्षक–सदस्य, कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत शिक्षक श्री अंशुमान चटर्जी –सदस्य, कोषपाल/प्रशासनिक पदाधिकारी – सदस्य । उक्त कमिटी की बैठकें माह में कम से कम एक बार अवश्य हों जिससे अतिथि गृहों के रख–रखाव व संचालन सम्बन्धी सभी समस्याओं का समाधान नियमानुकूल होता रहे। अतिथि गृहों से प्राप्त राशि का उपयोग कमिटी दो वर्षो तक रख रखाव व सुसज्जा में करें व यदि राशि बच जाए तो उसे नियमानुसार ट्रेजरी में जमा करने के प्रावधन को अपनाएं। विद्यालय–अतिथि केवल सभापति/प्राचार्य के आदेश से अतिथि गृहों में निःशुल्क रह सकेंगे।

14. <u>कार्यसूची मद संख्या–13:–</u> विद्यालय में मातृ–पितृ संस्कार के आयोजन का कार्यक्रम 26 जून 2019 को विद्यालय के प्रेक्षागृह में सम्पन्न किया गया जिसमें इस संस्कार परम्परा की नेतरहाट विद्यालय में प्रारम्भ कराए जाने की प्रणेता – झारखण्ड राज्य की माननीया शिक्षा मंत्री सह–नेतरहाट विद्यालय समिति के सामान्य निकाय की माननीया अध्यक्ष डा. नीरा यादव जी – ने मुख्य अतिथि के रूप में आशीर्वचन के लिए रांची से नेतरहाट तक सड़क मार्ग से पधारने का कष्ट किया था। नेतरहाट के प्रथम व अंतिम वर्षो के बालकों द्वारा उनके माता–पिता/ अभिभावकों और माननीया मंत्री तथा कार्यकारिणी

8.7.2019

समिति के सभापति का जिस विधि-विधान और आदर-सत्कार/प्यार,स्नेह, आत्मीयता भरा कार्यक्रम सम्पादित किया गया, वह विद्यालय के 65 वर्ष के इतिहास में अभूतपूर्व था। इस अवसर पर कार्यकारिणी समिति के सदस्य-गण (श्री एच. के. पी. सिन्हा, श्री विनोद कुमार कर्ण, प्रो. डा. नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, श्रीमती नीरजा कुजूर, डा. संतोष कुमार सिंह) के साथ-साथ गण्य-मान्य अतिथिगण मंचासीन थे। नेतरहाट विद्यालय के सभी बालकों, प्राचार्य तथा सभी शिक्षक-प्रशिक्षक गणों, प्रधान माता सहित सभी माताओं तथा कर्मचारी बन्धुओं को भारतीय संस्कार और परम्परा को कायम करने की दिशा में इतना भाव-विह्वल कराने वाला कार्यक्रम आयोजित कराने का श्रेय है। वरीयतम शिक्षक श्री विन्ध्याचल पाण्डेय जी ने जिस विद्वता और तल्लीनता से विषय-प्रवेश कराया तथा वरीय शिक्षक श्री राजेश राय ने जिस भावुक-तन्मयता से मंच संचालन किया वह भविष्य में परम्परा का उदाहरण बनेगा। मातृवत् स्नेह से परिपूर्ण, नयी परम्परा की प्रणेता माननीया मंत्री डा. नीरा यादव जी ने विद्यालय को भारतीय परम्परा को अक्षुण रखते हुए हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वचन दिया।

पूर्व प्राचार्य-सह कार्यकारिणी समिति के सदस्य श्री विनोद कुमार कर्ण जी के सुझाव - कि नये प्रवेश लेने वाले बालक गण जिस दिन नेतरहाट पहुंचें उसके दूसरे ही दिन इन बालकों के गुरू माता-पिता अर्थात् नेतरहाट विद्यालय के प्राचार्य सहित सभी शिक्षक-प्रशिक्षकों ओर उनकी धर्मपत्नियों (श्रीमानजी-माताजीगण) को, लौटरी के माध्यम से प्राप्त संख्या के, बालकों के स्थानीय माता-पिता के रूप में मातृ-पितृ पूजन संस्कार कराये जांय। नेतरहाट में सभी शिक्षकों-प्रशिक्षकों और माता जी को बालकों द्वारा अपने पितृ-मातृ-तुल्य मानने और व्यवहार करने की परम्परा तो प्रारम्भ से है ही, किन्तु लगाव व अनुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक बालक का अपने प्राकृतिक माता-पिता के अतिरिक्त नेतरहाट में भी मातृ-पितृ संस्कार पूजित प्राप्त माता-पिता का विशेष स्नेह, संरक्षण और अनुशासन प्राप्त होता रह सके - को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

15. <u>कार्यसूची मद संख्या-14:-</u> पेय-जल सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि आश्रमों में लगे हुए एक्वा गार्ड के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट खरीद लिए जांय और इन्हें उपयोग में लाया जाय। प्राचार्य को यह भी अधिकृत किया गया कि विद्यालय भवन के समीप बोर वेल में आर. ओ. प्लांट लगाने तथा प्रथम सेट के समीप बोरिंग करने के लिए नियमानुकूल पद्धति अपनाकर कार्यादेश देकर जल-संकट को दूर करें। साथ ही साथ तालाब से टंकी में फिल्टर्ड पानी आये और उससे चौबीसों घंटे पानी विद्यालय परिसर के हर नल में मिल पाए - इस हेतु उचित कदम उठायें।

कृष्ण कुमार राय
8.7.2019

16. **कार्यसूची मद संख्या–15:–** विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अनुशंसित 06 लघु मरम्मति कार्यो को करवाने की प्रशासनिक स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई।

17. **कार्यसूची मद संख्या–16:–** विद्यालय के सत्र 2018–19 के माध्यमिक एवं इंटरमीडियेट परीक्षाफल पर विचार विमर्श किया गया। माध्यमिक परीक्षाफल से जहां संतोषजनक स्थिति का बोध हुआ, इंटरमीडियोट के रिजल्ट से निराशा मिली। इसमें सुधार आवश्यक है, इसपर शिक्षकों की राय लेकर अगली बैठक में उपाय के प्रस्ताव लाए जांय।

18. **कार्यसूची मद संख्या–17:–** प्राचार्य एवं नव–नियुक्त शिक्षकों एवं कार्यालय कर्मियों को वेतन वृद्धि दिए जाने के विषय में वित्त विभाग के प्रतिनिधि सदस्य श्री वाजपेयी जी के मंतव्य पर सहमति को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

**सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।**

कृष्ण कुमार नाग 8.7.2019

(कृष्ण कुमार नाग)
सभापति
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति।